

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था०-293/2023 दिनांक 29.05.2023 द्वारा समयावधि पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उपनिरीक्षक ना०पु० 880930725 रवि शंकर द्विवेदी का कमिश्नरेट कानपुर नगर से मेरठ जोन स्थानांतरण किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस आयुक्त, कमि० कानपुर नगर के आदेश संख्या: त-917/2023 दिनांक 10.01.2024 द्वारा विलम्ब से उक्त उपनिरीक्षक को कमिश्नरेट कानपुर नगर से मेरठ जोन हेतु स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या:ए-3178/2024 शीतांश गंगवार व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2024 को सुनवाई के उपरान्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.05.2023 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 10.01.2024 को पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा quashed करते हुए याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या:5001/आठ-1-86 दिनांक 11.07.1986 में निहित निर्देशानुसार उपनिरीक्षक ना०पु० 880930725 रवि शंकर द्विवेदी द्वारा कमिश्नरेट कानपुर नगर की समयावधि 06 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पारित किये गये आदेश द्वारा उक्त याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान किये जाने के समादर में उपनिरीक्षक ना०पु० 880930725 रवि शंकर द्विवेदी को कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमि० लखनऊ स्थानांतरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एएसपी-(ई-1)-(समयावधि/मा० उच्च न्याया०)-368/2024 दिनांक 27.06.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

उक्त उपनिरीक्षक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिवस के अन्दर (दिनांक 06.07.2024 तक) अवश्य कार्यमुक्त कर दिया जाए। विलम्ब से कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किये जाते हैं तो आपके कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA-(368)2024/1039-DT 27-06-2024

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ-226002

संख्या:डीजी-चार-स्था०-(368)/2024/1039

दिनांक:जून 27, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 पुलिस आयुक्त, कमि० कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को 10 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में (बिना किसी विलम्ब के) कार्यमुक्त करते हुए दिनांक 06.07.2024 तक सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को प्रस्थान की जीडी नं० दिनांक सहित अनुपालन आख्या भिजवाने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2 पुलिस आयुक्त, कमि० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था०-293/2023 दिनांक 29.05.2023 द्वारा समयावधि पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उपनिरीक्षक ना०पु० 890910335 मुनेश्वर सिंह भदौरिया का कमिश्नरेट कानपुर नगर से मेरठ जोन स्थानांतरण किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस आयुक्त, कमि० कानपुर नगर के आदेश संख्या: त-917/2023 दिनांक 10.01.2024 द्वारा विलम्ब से उक्त उपनिरीक्षक को कमिश्नरेट कानपुर नगर से मेरठ जोन हेतु स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या:ए-3178/2024 शीतांश गंगवार व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2024 को सुनवाई के उपरान्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.05.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 10.01.2024 को पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा **quashed** करते हुए याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या:5001/आठ-1-86 दिनांक 11.07.1986 में निहित निर्देशानुसार उपनिरीक्षक ना०पु० 890910335 मुनेश्वर सिंह भदौरिया द्वारा कमिश्नरेट कानपुर नगर की समयावधि 06 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पारित किये गये आदेश द्वारा उक्त याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान किये जाने के समादर में उपनिरीक्षक ना०पु० 890910335 मुनेश्वर सिंह भदौरिया को कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमि० लखनऊ स्थानांतरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एएसपी-(ई-1)-(समयावधि/मा० उच्च न्याया०)-368/2024 दिनांक 27.06.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

उक्त उपनिरीक्षक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिवस के अन्दर (दिनांक 06.07.2024 तक) अवश्य कार्यमुक्त कर दिया जाए। विलम्ब से कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किये जाते हैं तो आपके कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA-(368)2024/1040-DT 27-06-2024

22/6/24
(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल,(द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ-226002

संख्या:डीजी-चार-स्था०-(368)/2024/1040

दिनांक:जून 27, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 पुलिस आयुक्त, कमि० कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को 10 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में (बिना किसी विलम्ब के) कार्यमुक्त करते हुए दिनांक 06.07.2024 तक सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को प्रस्थान की जीडी नं० दिनांक सहित अनुपालन आख्या भिजवाने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2 पुलिस आयुक्त, कमि० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।